न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री भगवत सिंह देवल

अपील संख्या 126/16

तारीख रजू– 20/12/16

[illegible] पुत्र सन्नू जाति माली निवासी तलावड़ा तहसील गंगापुर सिटी ——अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार तलावड़ा ——— रेस्पोण्डेण्टस

———

निर्णय

दिनांक–. 11/02/2017

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार तलावड़ा द्वारा मिसल संख्या 492/15 मे पारित निर्णय दिनांक 21/09/15 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम तलावड़ा के खसरा नं0 342/1574 रकबा 0.28 है0 किस्म बारानी पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के साथ साथ अपीलार्थी को सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत सुलह समझोते की भावन से यह प्रकरण आज न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है। वकील अपीलान्ट उप0 एवं रेस्पोडेन्टस की और से पेरोकार सरकार उपस्थित।सुलह समझौते के तहत उभय पक्ष को सुना गया।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने दौराने सुनवाई कथन किया कि धारा 91 एल आर एक्ट के तहत पश्चातवर्ती अतिकमी साबित होने के उपंरात ही सिविल कारावास जैसे कठोर दण्ड से दण्डित किया जा सकता है ,जबकि पत्रावली पर ऐसी कोई दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य मोजूद नहीं है। जिससे अपीलांट पश्चावर्ती अतिकमी साबित होता हों एवं उक्त वाद आराजीयात पर वर्तमान में अपीलान्ट का कोई अतिक्रमण हों। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21/09/15 निरस्त फरमाने का श्रम करे।

विद्वान राजकीय पेरोकार ने दौराने सुनवाई निवेदन किया कि आदेश जेरे अपील पारित करने से पूर्व सुनवाई सबूत का अवसर दिया है तथा अतिकमी द्वारा वाद आराजीयात पर कब्जा कर अतिक्रमण करने पर ही उक्त निर्णय सुनाया गया है। अतिकमी का उक्त वाद आराजीयात पर पश्चावर्ती अतिक्रमण होने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही अतिकमी को सिवील कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार किया जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21/09/15 यथावत रखा जावे।

विद्वान वकील अपीलार्थी व पेरोकार राज की सुनवाई सुनने तथा अपीलार्थी द्वारा अपील मे अंकित तथ्यो व अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि अदालत मातहत की पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट का वाद आराजीयात पर पश्चातवर्ती अतिकमण होना अंकित किया गया है। लेकिन अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व अतिकमण संबंधित कोई रिपोर्ट व निर्णय संलग्न नहीं है। जिससे अपीलान्ट को पूर्व अतिकमी माना जा सके।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा की हद तक निरस्त किया जाता है एवं शेष आदेश बेदखली ,शास्ति व फसल निलामी को यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 11/02/2017 को राष्ट्रीय लोक अदालत में लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

11/2/17

(श्याम मोहन शर्मा)
सदस्य

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर